जेवर में एग्री हब तो लखनऊ में बनेगा सेमीकंडक्टर डिटेक्टर

यूपी कैबिनेट की बैठक में फैसला, नोएडा में पराग की ज़मीन पर बनेगा ड्रोन

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : नोएडा के जेवर मे बन रहे इंटरनैशनल एयरपोर्ट के समीप एग्री एक्सपोर्ट बनेगा, जिसके जरिए कृषि उत्पादों को आसानी से दुनिया के अलग-अलग देशों में निर्यात किया जा सकेगा। वहीं, डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नॉड में डीआरडीओ रिसर्च यूनिट स्थापित करेगा जिसमें सेमीकंडक्टर डिडेक्टर का निर्माण होगा। लोकभवन में मंगलवार को योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि पूर्वांचल के 21 और बुंदेलखंड के 7 जिलों में किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग स्कीम (UP-AGREES) शुरू की गई है। 6 साल की परियोजना पर ₹4000 करोड़ खर्च होंगे। इस कड़ी में जेवर एयरपोर्ट के सामने एग्री एक्सपोर्ट हब व फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। इसे कर्नाटक की कंपनी के सहयोग से विकसित किया जाएगा। वहीं, UAE की कंपनी 'एक्वाब्रिज' यहां पर एक्वाकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगी। इससे मत्स्यपालकों को लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच सकेंगे। कैबिनेट ने इन कंपनियों को औद्योगिक नीति के तहत मिलने वाली सहूलियतें उपलब्ध कराए जाने को मंजूरी दे दी है। वहीं, डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन (DRDO) की इंस्ट्रूमेंट रिसर्च ऐंड डिवेलपमेंट इंस्टिट्यूट (IRDE) की लैब बनेगी। इसके लिए 10 हेक्टेयर जमीन 1 रुपये के सालाना लीज पर दी जाएगी। नोएडा में पराग डेयरी की 4.62 एकड़ जमीन राफे एम फाइबर कंपनी को देने का फैसला किया है।

एक्सिलेंस सेंटर बनेंगे 121 पॉलीटेक्निक संस्थान : 121 पॉलीटेक्निक संस्थानों को एक्सिलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार टॉटा टेक्नॉलजीज लिमिटेड (TTL) के साथ मिलकर इनका कायाकल्प करेगी। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि परियोजना की कुल अनुमानित लागत 6935.86 करोड़ है।

PCS (J) के पाठ्यक्रमों में बदलाव का अनुमोदन नहीं कराना होगा

कैबिनेट ने यूपी न्यायिक सेवा नियमावली 2001 मे संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के बाद प्रदेश मे न्यायिक सेवा की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम या अन्य मानको मे होने वाले परिवर्तनो को समाहित करने के लिए नियुक्ति विभाग से सहमति नही लेनी होगी। मौजूदा व्यवस्था मे हाईकोर्ट के स्तर से पाठ्यक्रम या अन्य बदलाव किया जाता है तो पहले नियुक्ति विभाग वह प्रस्ताव आता है और फिर यूपी लोक सेवा आयोग उसे नियमावली मे समाहित करता है। अब उसे सीधे यह अधिकार दे दिया गया है। इसके अलावा यूपी लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) ऑर्डिनेंस 2025 की जगह सदन मे विधेयक रखने पर भी सहमति दे दी गई है। परीक्षाओं में पर्चा लीक रोकने के लिए आर्डिनेंस के माध्यम से आयोग की भर्ती परीक्षाओं मे पेपर का चार सेट तैयार कराने की व्यवस्था लागू की गई है।

पुरानी पेंशन से छूटे लोगों को एक और मौका

28 मार्च 2005 के पहले के विज्ञापनों से भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में शामिल होने का एक और मौका मिलेगा। शासन ने ऐसे कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति नई पेंशन प्रणाली लागू होने के बाद हुई थी लेकिन विज्ञापन इसके पहले का था, को पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया था। 31 मार्च तक विभागों को इसका आदेश जारी करना था। इस प्रक्रिया में लगभग 2000 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने या तो विकल्प नहीं दिया है या जिन्होंने विकल्प तो दिया है लेकिन उनके विभाग से आदेश निर्गत नहीं हुआ है उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। अब 30 सितंबर तक विकल्प दिया जा सकेगा और 28 फरवरी तक आदेश जारी किया जा सकेगा।

पुराने वाहन बेचे जाएंगे, गृह विभाग में नए की खरीद होगी

कैबिनेट ने 15 साल की उम्र पूरी कर अनुपयोगी वाहनों की नीलामी के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं, अलग-अलग प्रस्तावों में गृह विभाग में 344, पीएससी के लिए 64 व न्याय विभाग के लिए 1 वाहन खरीद की भी अनुमति दे दी है। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि नगर विकास विभाग की परियोजनाओं के लिए ग्रामसभा की जमीन निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। राजधानी के गणेशगंज में फायर स्टेशन, अयोध्या में एसटीपी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के कांप्लेक्स, एंट्री करप्शन थाने के निर्माण एवं हमीरपुर में वन स्टॉप सेंटर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करने के प्रस्तावों को भी मंजूर कर लिया गया है।

अभिलेखों को संरक्षित करने को कानून बनेगा

प्रदेश में पुराने अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए यूपी लोक अभिलेख अधिनियम लाया जाएगा। इसके तहत विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में उपलब्ध पुराने अभिलेखों को संरक्षित किया जाएगा जिससे इतिहास, शोध एवं अन्य गतिविधियों में उनका बेहतर उपयोग हो सके। केंद्र सहित 15 राज्य पहले ही इस दिशा में कानून बना चुके हैं।

घर बनाने के लिए वेतन का 35 गुना मिल सकेगा

सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए दिए जाने वाले एडवांस की दर में बदलाव किया गया है। अब मूल वेतन का 35 गुना या अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस के तौर पर घर बनाने के लिए मिल सकेगा। वहीं, मरम्मत के लिए 10 लाख रुपये तक अडवांस दिया जा सकेगा।

दिव्यांगता के आधार पर नहीं होगी स्क्रीनिंग

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय सेवा नियमावली में संशोधन पर सहमति दे दी है। मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारियों को नियुक्ति व प्रमोशन दोनों ही स्थिति में प्रोबेशन पीरियड पूरा करना पड़ता है, अब प्रमोशन के बाद प्रोबेशन की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। वहीं, 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर कार्यदक्षता के आधार पर की जा रही स्क्रीनिंग में दिव्यांगता को आधार नहीं बनाया जा सकेगा।